हाईकोर्ट | शिवराज के बेटे कार्तिकेय को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राहुल गांधी के मानहानि से जुड़े मामले में रिकार्ड तलब

जबलपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि से जुड़े मामले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। कर्तिकेय सिंह की और से एमपी-एमएलए कोर्ट के द्वारा जारी किए समन को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कि शुक्रवार को जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। मामले से जुड़े रिकार्ड जो कि एमपी-एमएलए भोपाल कोर्ट के पास थे, उसे हाईकोर्ट ने तलब किया है। हाईकोर्ट ने कर्तिकेय सिंह चौहान को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए है। मामले पर अगली सुनवाई अब 4 मई को निर्धारित की है।

दरअसल यह विवाद 29 अक्टूबर 2018 को झाबुआ में हुई एक चुनावी सभा से शुरू हुआ था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पनामा पेपर लीक मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम शामिल है। हालांकि, बाद में राहुल ने इसे कंफ्यूजन बताया था, लेकिन कार्तिकेय ने इसे छवि खराब करने की साजिश बताते हुए भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था। कोर्ट में मामला दायर करने के बाद कार्तिकेय ने दायर मामले में कहा था कि राहुल ने उन्हें तथा उनके परिवार को बदनाम करने के लिए जान-बूझकर यह बयान दिया है। राहुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया गया था। भोपाल एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया और इसी को रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया।

चार्ज तय करने के आदेश बिना सोचे-समझे जारी नहीं कर सकते : हाईकोर्ट

जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस डी डी बसंल की एकलपीठ ने अपने अहम आदेश में कहा है कि आपराधिक प्रकरण में चार्ज तय करने के आदेश बिना सोचे-समझे जारी नहीं किये जा सकते। ट्रायल कोर्ट चार्ज तय करते समय विस्तृत कारण बताने मजबूर नहीं है परंतु यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के आधार पर अपनी राय बनाई है।

गौरतलब है कि भोपाल के बैरसिया थानान्तर्गत युवती की शिकायत पर बलात्कार तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया गया था। याचिकाकर्ता संजय जाटव की तरफ से दायर की गयी थी। जिसमें कहा गया था कि पीड़ित की शिकायत के अनुसार प्रकरण के मुख्य आरोपी मनोज रैकवार को वह बचपन से जानती थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मनोज ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। इसके बाद शादी से इंकार कर दिया था। पीड़ित का आरोप है कि याचिकाकर्ता मुख्य आरोपी का दोस्त है और उस सभी बातों की जानकारी थी। वह दोनो के संबंध में परिजनों को बताने की धमकी देते हुए पीड़िता पर बात करने तथा शारीरिक संबंध बनाने के दबाव डालता था।

याचिकाकर्ता की तर्क दिया गया कि उक्त धारा के तहत चार्ज फ्रेम किये जाने पर उसने ट्रायल कोर्ट में आवेदन दायर किया था। उसके खिलाफ ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है कि उसे प्रकरण में सह आरोपी बनाया जाये। इसके अलावा दोनो के खिलाफ अलग-अलग प्रकरण दर्ज किये जाने चाहिये। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को निरस्त करते हुए अपने आदेश में कहा था कि आरोपी के द्वारा पीड़ित को धमकी देना अपेक्षित है,ऐसी स्थिति में कार्यवाही के पर्याप्त आधार है। उक्त आदेश के खिलाफ उसने अपील दायर की थी,जिसे खारिज किये जाने के कारण उक्त क्रिमिनल रिवीजन दायर की गयी है।

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि चार्ज तय करने के विवादित ऑर्डर में ऊपर बताई गई तय कानूनी स्थिति का पालन निचली अदालत ने नहीं किया है। विवादित ऑर्डर को रद्द करते हुए नये सिरे से विचार करने के लिए इसे निचली कोर्ट को वापस भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

कटनी के छोटी महानदी पुल के मामले में कोर्ट सख्त

मप्र हाईकोर्ट ने कटनी स्थित छोटी महानदी पुल की मरम्मत करके उसे सुरक्षित और यातायात योग्य बनाने के मामले में जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले में कलेक्टर कटनी, जल संसाधन विभाग व अन्य से जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 12 मई को निर्धारित की है। दरअसल यह मामला कटनी निवासी ब्रह्म मूर्ति तिवारी की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पुल की हालत उद्घाटन के 8 से 10 वर्षों के भीतर ही खराब हो गई है। यह पुल नदी के दोनों किनारों को जोड़ता है और शहर के निवासियों के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें अब नदी पार करने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। मांग की गई कि छोटी महानदी पुल की मरम्मत और जीर्णोद्धार कराया जाए ताकि इसे सुरक्षित और यातायात योग्य स्थिति में लाया जा सके। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

पेंटीनाका फ्लाई ओवर अब बनेगा एम्पायर तिराहा से गोराबाजार तक : राकेश सिंह

लोक निर्माण मंत्री के निर्देश पर पुन: हुआ सर्वे, लम्बाई बढ़ाने के साथ दी प्रशासकीय स्वीकृति

नवभारत,जबलपुर। जबलपुर-मंडला मार्ग के अंतर्गत पेंटीनाका चौक से वायएमसीआर तक बनने वाला फ्लाई ओवर अब एम्पायर तिराहा से गोराबाजार के पास तक बनेगा। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने लम्बाई बढाने के साथ ही इस फ्लाईओवर के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सांसद रहते हुए पेंटीनाका चौक से वायएमसीआर तक फ्लाई ओवर को स्वीकृति दिलाई थी। पूर्व में यह फ्लाई ओवर पेंटीनाका चौक तक प्रस्तावित था। इसकी स्वीकृति के बाद रक्षा विभाग के कारण इसके निर्माण में विलम्ब हो रहा था। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के निर्देश पर पुन: इसका सर्वे किया गया और इन अडचनों को दूर करते हुए इसकी प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। अब इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इसकी लम्बाई बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था जिस पर सडक परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने इसे स्वीकृत कर दिया है। यह फ्लाई ओवर सेतु बंधन योजना (सीआईआरएफ) के तहत बनाया जायेगा। मंत्री सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है।

लागत 70 करोड़, लम्बाई होगी 283 मीटर

जानकारी के अनुसार अब इस फ्लाई ओवर की लम्बाई 1415 मीटर और पहुंच मार्ग की लम्बाई 283 मीटर होगी। सर्विस मार्ग की चौड़ाई 7.50 मीटर दोनों ओर होगी। साथ ही इसकी लागत में भी वृद्धि की गई है अब इसकी लागत लगभग 70 करोड़ होगी। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा जबलपुर के यातायात को सुव्यवस्थित एवं सुचारु बनाने हेतु फ्लाई ओवर के निर्माण आवश्यक है। इसी दृष्टि से सांसद रहते हुए पेंटीनाका चौक से बनने वाले फ्लाई ओवर की स्वीकृति कराई गई थी, चूंकि यातायात का दबाब इस मार्ग में अधिक होता है और मंडला से आने वाले वाहनों को भी सुचारु रूप से शहर में प्रवेश मिल सके इस हेतु इसकी लम्बाई बढ़ाने का आग्रह केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से किया गया था, जिसे स्वीकृति मिला गई है।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ीं सड़कें, 65 लाख का गबन

जबलपुर ईओडब्ल्यू ने महाप्रबंधक सहित 5 पर दर्ज की एफआईआर

जबलपुर। नरसिंहपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण विकास प्राधिकरण के अंतर्गत हुए सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर (ईओडब्ल्यू) ने घटिया सड़क निर्माण और सरकारी खजाने को चूना लगा 65 लाख का गबन करने के आरोप में तत्कालीन महाप्रबंधक (सहायक प्रबंधक और लेखा अधिकारी समेत ठेकेदारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर निवासी हेमंत खरे ने जबलपुर ईओडब्ल्यू में शिकायत कर आरोप लगाया गया था कि नरसिंहपुर जिले में मानकों को ताक पर रखकर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और शासकीय राशि का खुलेआम गबन हो रहा है। ईओडब्ल्यू द्वारा की गई तकनीकी जाँच में शिकायत के तथ्य सही पाए गए।

मानकों को दरकिनार कर बनीं सड़कें

जाँच में पाया गया कि जनवरी 2023 के दौरान हुए भारी अनियमितता बरती गई। कोड़िया से लिलवानी एवं गाडरवारा-तेन्दूखेड़ा रोड से लिलवानी मार्ग, गोटीटोरिया से सिंगपुर रोड सड़कों के निर्माण में उपयोग की गई

सामग्री के सैंपल लैब टेस्ट में फेल हो गए। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने पाया कि सड़कों का निर्माण बेहद घटिया स्तर का था, जो कि निर्धारित मानकों के विपरीत था।

वाहन के नाम पर भी 5.50 लाख का भुगतान

जाँच में केवल निर्माण ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी सामने आया है। सड़क निरीक्षण के लिए उपयोग किए गए वाहन के नाम पर 5.50 लाख रुपये का अवैध भुगतान किया गया। इस गबन के लिए तत्कालीन महाप्रबंधक विष्णु कुमार टेंटवाल और लेखा अधिकारी अनिल वासनिक को सीधे तौर पर दोषी पाया गया है।

ये बने आरोपी

ईओडब्ल्यू जबलपुर ने विष्णु कुमार टेंटवाल तत्कालीन महाप्रबंधक, मप्र ग्रामीण विकास प्राधिकरण, नरसिंहपुर, श्रीमति आयुषी उपाध्याय तत्कालीन सहायक प्रबंधक, अनिल वासनिक लेखा अधिकारी, मेसर्स मदनलाल एण्ड पार्टनर्स जिला नरसिंहपुर (ठेकेदार), मेसर्स श्रीराम कंस्ट्रक्शन मुरैना ठेकेदार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है।

मिलीभगत, पद का दुरूपयोग कर किया घपला

आरोपियों ने आपसी मिलीभगत और पद का दुरुपयोग करते हुए ठेकेदारों को लगभग 65 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। यह भुगतान उन सड़कों के लिए किया गया जो गुणवत्ता में शून्य थीं। के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से आपराधिक षड्यंत्र और जनता के पैसे की धोखाधड़ी का मामला है।

दस्तावेजों की कमी, 6 बसों पर लगाया 18 हजार जुर्माना

परिवहन विभाग की स्कूल बसों पर सख्त कार्रवाई, 9 वाहन जब्त

नवभारत, जबलपुर। जिले में स्कूल और कॉलेज बसों की सघन जांच के दूसरे दिन परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। संभागीय परिवहन अधिकारी रिंकू शर्मा और उड़नदस्ता प्रभारी राजेन्द्र साहू की मौजूदगी में सत्यप्रकाश पब्लिक स्कूल की बसों की जांच की गई। जांच के दौरान 6 बसें वैध दस्तावेजों के बिना संचालित होती पाई गईं, जिन पर कुल 18,000 रुपए का स्पॉट जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा 9 अन्य वाहनों में विभिन्न खामियां मिलने पर उन्हें जब्त कर स्कूल प्रबंधन के सुपुर्द किया गया।

आरटीओ श्रीमती रिंकू शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर की जा रही है, जिसका उद्देश्य स्कूल वाहनों की सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कार्यवाही के दौरान उप निरीक्षक अक्षय पटेल, परिवहन आरक्षक आशुतोष मोघे, निमिषा तिवारी, उमाशंकर उपाध्याय, वंदना परतेती, पीयूष मंडावी, सारंग धर महाले, सत्यनारायण भांगरे, धीरज खरे, धर्मेन्द्र तोमर, सरबजीत सिंह, नोवेल स्टारकी एवं शंकर झारिया उपस्थित रहे।

यश हायर सेकेण्डरी स्कूल
CBSE/ ICSE से MP BOARD में एडमिशन पर, उठायें सरकारी योजना का लाभ।
बोर्ड एग्जाम का % बढ़ाएं, समय बचाएं, NEET/ IIIT में एडमिशन गाइडेंस।
हमारे 36 बच्चों ने पाया लेपटॉप योजना का फायदा
Nursery, LKG, UKG, Admission Free*
ENGLISH & HINDI MEDIUM
Office- 8 To 4
नोट- हमारे प्रयास से श्रेष्ठ बच्चों के साथ-साथ कमजोर बच्चें भी बेहतर रिजल्ट लाकर दिखाते हैं। इसलिए हम देते हैं बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम।
सीधे 10वीं, 12वीं, कॉलेज प्राईवेट/ रेगूलर फार्म भरने की सुविधा।
• अधारताल तिराहा- 9303580611 • अमखेरा रोड, गोहलपुर- 9111009016

LEONARD H.S.SCHOOL
(Recognised by Govt of M.P.)
Classes : Nursery to 12th
Come and join us
ADMISSION OPEN
Informatics Practices/Maths Science/Commerce/Arts Groups
The School is located in a Peaceful and eco friendly atmosphere.
Emphasis is given on Spoken English in all the classes.
Sports and Cultural activities are held on a regular basis.
Excellent Board Results Year after Year.
53, Denning Road, Behind Civil Line Police Station Jabalpur (MP)
Phone : 0761-4030678, 9425387092, 7999910499

SHIVAM CERAMIC JABALPUR
QUTONE
महाकौशल का सबसे बड़ा शो-रूम
टाइल्स, इटैलियन मार्बल, ग्रेनाइट, सेनेटरी वेअर
GROHE, Bath Fitting, QUTONE, COLORTILE, SERON & LAVISH टाइल्स की आधुनिक रेंज
MG शो-रूम के बाजू में, नागपुर रोड, मदन महल, जबलपुर - 9425188774, 8224045555

ADMISSION OPEN
BULBUL KINDS KINGDOM HIGH SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
CBSE PATTERN
UNIFORM FREE
Nursery, LKG, UKG & 1st to 10th
web : bulbulkidskingdom.com
New Ram Nagar, Amkhera Road, Adhartal Jabalpur 9301408550, 6266655219,9301408551

नवरात्रि एवं ईद पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
JYOTI INNER ZONE
10% से 15% तक की भारी छूट
LUX cozi INNER WEAR | AMUL MACHO | JOCKEY | RUPA | DIXCY SCOTT
1222, Main Road Ganjipura, Near Super Market, Jabalpur (MP) 0761- 4038008

यात्रा के क्षेत्र में एक विश्वसनीय और पुराना नाम
शिव तीर्थ यात्रा
सन 1970 से लगातार आपकी सेवा में.
ग्राम-पीपरपानी, जिला-मण्डला (म.प्र.)
संचालक : पं. शिवप्रसाद दुबे
बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री
उत्तराखंड की चार धाम यात्रा
यात्रा दिनांक:- 09 मई 2026
यात्रा राशि में सम्मिलित सुविधायें
1. सुबह चाय एवं नाश्ता, शाम (रात्रि) में स्वयं निर्मित शुद्ध सात्विक भोजन (दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पापड़, सलाद, रायता आदि)। 2. थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच एवं विश्राम हेतु गद्दे की व्यवस्था। 3. उपवास पड़ने पर दोनों समय यात्रियों को फलाहार एवं फल की व्यवस्था। 4. ठहरने हेतु अच्छे धर्मशाला एवं यात्री निवास की व्यवस्था। (यात्रीगण यदि अलग से कमरा लेते है तो वह खर्च यात्री को वहन करना होगा।) 5. आरामदायक सुविधाजनक स्लीपर बस एवं मोबाईल चार्जिंग की सुविधा। 6. यात्रा के दौरान अनुभवी संचालक एवं कुशल कर्मचारियों की सुविधा।
यात्रा की विशेष जानकारी
1. बुकिंग चालू है, कृपया 5000/- की एडवांस जमा कर अपनी सीट सुरक्षित करें।
2. यात्रा के दौरान ऑटो, ई-रिक्शा, पालकी, घोड़ा, हेलीकाप्टर का खर्च यात्रियों को स्वयं वहन करना होगा।
3. केदारनाथ धाम में रात्रि में रूकने एवं भोजन का खर्च यात्री को स्वयं देय होगा।
4. यात्राकाल में सहयोग अपेक्षित है एवं संचालक का निर्णय मान्य होगा।
इस यात्रा राशि में पहाड़ की बस एवं होटल खर्च शामिल है
यात्रा के मुख्य तीर्थ स्थल -
मण्डला, जबलपुर से प्रयागराज (त्रिवेणी संगम स्नान), बनारस, अयोध्या धाम रामलला दर्शन, नैमीषारण्य, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, कुरुक्षेत्र, चितौड़गढ़ सांवरिया सेठ, पुष्कर तीर्थ, सालासर बालाजी, श्री खाटू श्याम, जयपुर, मेंहदीपुर बालाजी, ओरछा (राजा राम मंदिर), बागेश्वर द्वारा, जबलपुर-मण्डला।
ए.सी. स्लीपर कोच बस द्वारा 20 दिवसीय यात्रा
यात्रा राशि (प्रति व्यक्ति)
ऊपर स्लीपर - 31000/- नीचे स्लीपर-33000/-
यात्रा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें, पं. वैभव दुबे-9302626840, पं. योगेश दुबे-7049280956

INTRODUCING
THE ALL-NEW NISSAN GRAVITE EZ-SHIFT AMT
THE NEW CLASS OF TOGETHERNESS
RANGE STARTS@ ₹5.65 LAKH*
EZ-SHIFT PRICE STARTS@ ₹7.80 LAKH*
THE ALL-NEW NISSAN GRAVITE EZ-SHIFT AMT WITH EXCITING FEATURES
EZ-Shift AMT with Dual Driving Mode
150+ Modular Configurations with 7-Seat Comfort-First Design
Intuitive Floating 20.32 cm Infotainment Screen
17.78 cm Fully Digital Instrument Cluster with TPMS
THE NISSAN SERVICE PROMISE
10 Years Warranty* Enjoy 3 Years Standard + 7 Years Extended Warranty*
3 Years 24x7 Roadside Assistance (RSA) Standard
Lowest Cost of Maintenance @40p/km#
INDUSTRY FIRST 55-MINUTE CAR EXCHANGE* Spinny PREFERRED EXCHANGE PARTNER
FOR ENQUIRIES GIVE A MISSED CALL 9833 800 700
INDUSTRY-FIRST VIRTUAL SALES ASSISTANT
SCAN TO INTERACT NOW
AUTHORIZED NISSAN DEALERS: MADHYA PRADESH: JABALPUR: PLATINUM NISSAN- 8291040124, BHOPAL: KROWN NISSAN- 9152500547, CHHINDWARA: SHREE KRISHNA NISSAN- 8291046174, GWALIOR: SUMEDHA NISSAN- 9619894841, INDORE: GEETA BHAWAN SQUARE: ANAND NISSAN- 8291045843, RAJENDRA NAGAR: SANGHI NISSAN- 8879142084, CHHATTISGARH: RAIPUR: SHIVA NISSAN- 9167298723, BILASPUR: SHIVA NISSAN- 9167196314.
*Terms & Conditions Apply, All prices ex-showroom Delhi. The model shown is a Limited Edition Nissan Gravite. Features and accessories shown may not be standard equipment and are subject to change without prior notice. Approved accessories included from trusted Nissan suppliers; they are not 'Nissan Genuine Accessory'. Warranty on such accessories is supported by the supplier and is limited to 1 year from the sale of the vehicle. Finance is at the sole discretion of NRFSI. *Standard warranty of 3-year or 1 00 000 km, whichever comes first, and can be extended to 10 years or 2 00 000 km at an additional cost. #Lowest cost of maintenance at 40p in the B-MPV category segment refers to B-MPV models with a length of less than 4m. *Boot space is as per various modular configurations available in the vehicle. Please consult an authorised Nissan dealer for the latest information on features/specifications before deciding to place an order. Exchange is at the sole discretion of exchange partner*
NISSAN FINANCE

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57